उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

									(q	 हरोड़ रुपए)
		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			ਕਾਰਟ 2004-2005		
	मुख्य शीर्ष	1	अायोजना-भि•		आयोजना	आयोजना-१		आयोजना	आयोजना-भि	
_	राजस्व		28017.06			25416.84			28091.48	
	राजरप गंत्नी	40.83	1.50	42.33	40.23		41.73	45.72	1.50	47.22
	<i>पूंजी</i> जोड़		28018.56			25418.34	25460.34		28092.98	
	3451	0.15	12.85	13.00	0.14	13.87	14.01	0.15	14.16	14.31
ा. सावपालय-आयफ सपाए खाद्य, भंडार और भांडागारण	3431	0.15	12.00	13.00	0.14	13.01	14.01	0.15	14.10	14.51
थां व. संबंध सब्सेडी	2408		27800.00	27800 00		25200.00	25200.00		27800.00	27800.00
 वीनी के बफर स्टाक के 	2400		27000.00	27000.00		23200.00	23200.00		27000.00	27000.00
अनुरक्षण पर सब्सिडी	2408	l	300.00	300.00		300.00	300.00		112.00	112.00
4. चीनी के निर्यात लदान हेतु	2400		300.00	300.00		300.00	300.00		112.00	112.00
चीनी मिलों को आंतरिक										
परिवहन एवं भाड़ा शुल्क										
की प्रतिपूर्ति	2408		50.00	50.00		50.00	50.00		100.00	100.00
5. चीनी उद्योग के विकास के										
लिए अन्य व्यय	2408		6.63	6.63		10.65	10.65		9.21	9.21
वीनी विकास निधि-अन्तरण										
को	2408		180.00	180.00		180.00	180.00		250.00	250.00
से	2408		-356.63	-356.63		-360.65	-360.65		-221.21	-221.21
	6860		-320.00	-320.00		-270.00	-270.00		-425.00	-425.00
	निवल		-496.63	-496.63		-450.65	-450.65		-396.21	-396.21
7. खाद्य, भंडारण और भांडागारण	2408	1.15	23.28	24.43	0.63	22.59	23.22	0.92	25.79	26.71
के अन्य कार्यक्रम	4408	1.00		1.00	0.85		0.85	0.92		0.92
, , , , ,	जोड़	2.15	23.28	25.43	1.48		24.07	1.84	25.79	27.63
जोड़-खाद्य, भंडार और भांडागारण		2.15	27683.28	27685.43	1.48	25132.59	25134.07	1.84	27650.79	27652.63
नागरिक आपूर्ति										
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ख कार्ड के कार्यान्वयन की पायलटा		4.50		4.50	0.40		0.40	4.05		4.05
कांड के कार्यान्वयन का पायलट 9. नागरिक आपूर्ति की अन्य स्कीमें		1.50		1.50	0.40		0.40	1.25	 1 50	1.25
9. नागरक आयूति का अन्य स्कान 10. खाद्य तेलों के व्यापार कार्य में	3456	0.60	0.90	1.50	0.60	0.35	0.95	0.60	1.50	2.10
एसटीसी के नुकसान की प्रतिपूर्व	र्ते 3456		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01
जोड़-नागरिक आपूर्ति	(1 3430	2.10	0.01	3.01	1.00	0.36	1.36	1.85	1.51	3.36
उपभोक्ता उद्योग		2.10	0.31	3.01	1.00	0.30	1.30	1.03	1.31	3.30
11. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	37.05		37.05	34.96		34.96	39.94		39.94
12. उपभोक्ता उद्योग	2852		0.02	0.02		0.02	0.02		0.02	0.02
13. चीनी कारखानों की पुनर्रथापना/			0.02	0.02		0.02	0.02		0.02	0.02
आधुनिकीकरण	6860		150.00	150.00		125.00	125.00		150.00	150.00
14. गन्ना विकास के लिए चीनी										
मिलों को ऋण	6860		20.00	20.00		20.00	20.00		25.00	25.00
15. बगासे आधारित सह-उत्पादन										
विद्युत परियोजनाओं के लिए										
चीनी मिलों को ऋण	6860		100.00	100.00		100.00	100.00		150.00	150.00
16. एनहाइड्रस अल्कोहल या										
अल्कोहल से इथनाल के उत्पाद										
के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860		50.00	50.00		25.00	25.00		100.00	100.00
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		37.05	320.02	357.07	34.96	270.02	304.98	39.94	425.02	464.96
17. हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स आयल	0000		4.50	4.50		4.50	4.50		4.50	4.50
कारपोरेशन को ऋण	6860		1.50	1.50		1.50	1.50		1.50	1.50
18. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों व	þ									
लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों	4550	2.70		0.70	4.40		4.40	4.00		4.00
हेतु एकमुश्त प्रावधान कुल जोड़	4552	2.78	 28018.56	2.78	4.42	 25418.34	4.42 25460.34	4.86	 28092.98	4.86
पुरत जाड़		44.23	20010.30	20002.79	42.00	23410.34	23400.34	40.04	20092.90	20141.02
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास	बजट	आं.ब.	जोड	बजट	आं.ब.	जोड	बजट	आं.ब.	जोड़
a. Manti bani ni nati	शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
11.01 भारतीय खाद्य निगम	12408	37.05		37.05	34.96		34.96	39.94		39.94
11.02 केन्द्रीय भांडागारण निगम	12408		94.00	94.00		94.24	94.24		16.75	16.75
	ग्रेड जोड़	37.05	94.00	131.05	34.96		129.20	39.94	16.75	56.69
ग. आयोजना परिव्यय						•				
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	0.15		0.15	0.14		0.14	0.15		0.15
2. खाद्य, भंडार और भांडागारण	12408	41.98	94.00	135.98	40.86	94.24	135.10	46.64	16.75	63.39
नागरिक आपूर्ति	13456	2.10		2.10	1.00		1.00	1.85		1.85
•	जोड़	44.23	94.00	138.23	42.00	94.24	136.24	48.64	16.75	65.39

सं.18/खाद्य और सरकारी वितरण विभाग

- 1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- 2. भारतीय खाद्य निगम को खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए की जाती है (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, (ii) संकटरोधक मंडारों को रखने की लागत और (iii) लेवी चीनी, चीनी के आयात आदि के कारण। आर्थिक लागत में खरीद मूल्य और देश के भीतर खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए खरीद संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण संबंधी आनुषंगिक व्यय आते हैं, जिसमें लाने ले जाने, भंडारण, रख-रखाव, ब्याज प्रभार आदि शामिल हैं।
- 3. इसके अंतर्गत चीनी के संकटरोधक भंडार बनाए रखने के लिए चीनी के कारखानों के बकाया दावों का निपटान करने के लिए प्रावधान है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है।
- 4. यह प्रावधान चीनी कारखानों को चीनी के निर्यात शिपमेंट पर आंतरिक परिवहन और भाड़े की प्रतिपूर्ति हेतू किया गया है।
- 5. यह व्यय एनसीडीसी और आईएफसीआई को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल है।
- 6. चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए 1 जून, 1982 से 5 रुपए प्रति क्विंटल और 1 नवम्बर, 1982 से 14 रुपए प्रति क्विंटल चीनी उत्पादन उपकर लगाने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत, चीनी उद्योग के विकास के लिए प्रयोग में लाने के लिए चीनी विकास निधि को, संग्रह की लागत के अनुसार कम करके संग्रहित उपकर के बराबर की राशि को अंतरित करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए ऋण, अनुदान देते हुए तथा चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य व्यय की व्यवस्था है। भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपर्युक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।

- 7. इसमें 'खाद्यान्नों की खरीद पर शेष व्यय', 'प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन', 'निर्देश और प्रशासन', 'अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद/ अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद)' और 'अन्य योजनाओं' के लिए प्रावधान शामिल है।
- 8. यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड स्कीम के लिए है।
- 9. यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनुसंधान और मॉनीटरिंग से संबंधित स्कीम के लिए है।
- 10. यह प्रावधान राज्य व्यापार निगम को सरकारी खाते में आयातित खाद्य तेल के संबंध में इसके व्यापारिक कार्यकलाप में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए है।
- 11. यह प्रावधान मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिव्ययों को दर्शाता है, जो प्रगति पर है।
- 12. इसमें अमृतसर तेल कारखाना अधिनियम की धारा 14 के तहत भुगतान आयुक्त को भुगतान करने का प्रावधान शामिल है।
- 13. यह व्यय अन्य बातों के साथ-साथ चीनी की किसी भी फैक्टरी के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने के लिए किया जाता है जो चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।
- 14. यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।
- 15. यह प्रावधान बगासे आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण देने हेतु किया गया है।
- 16. यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण देने के लिए किया गया है।
- 17. यह प्रावधान हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड के संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए है।
- 18. यह प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों एवं सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों हेतु निधि आवंटन को प्रदर्शित करता है।